

**व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र)
कोलकाता**

एनएटीएस टीपीए के लिए परिचालन दिशानिर्देश

पूर्वी क्षेत्र में वित्त वर्ष 2022-23 में 1 लाख प्रशिक्षुओं के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बीओपीटी (ईआर) के साथ हाथ मिलाने के लिए पैनल में शामिल सभी एनएटीएस टीपीए का स्वागत किया जाता है। हमारे कार्यशील पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित नामकरण स्पष्ट किया गया है:

1. **पूर्वी क्षेत्र-** पश्चिम बंगाल राज्य, बिहार, झारखंड, ओडिशा, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, अंडमान और निकोबार द्वीप, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर और नागालैंड राज्य।
2. **पैन इंडिया ऑपरेशन-** बहु-स्थान इकाइयों/संचालन वाले स्थापना जिनमें से कम से कम एक इकाई/संचालन पूर्वी क्षेत्र में होना चाहिए।
3. **एनएटीएस टीपीए-** देश भर में स्थित संगठन/संस्थान जिन्होंने बीओपीटी (ईआर) द्वारा जारी पैनलबद्धता पत्र प्राप्त कर लिया है।
4. **एनएटीएस के तहत नियुक्ति के लिए छात्रों की पात्रता-** इंजीनियरिंग/गैर-इंजीनियरिंग स्नातक और इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा धारक अनुमोदित संस्थानों से उत्तीर्ण छात्रों के अंतिम 5 बैच से पहले उत्तीर्ण नहीं हुए हैं (उदाहरण के लिए: चूंकि 2022 का परिणाम अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है, 2017 से उत्तीर्ण छात्र आगे के पात्र हैं)।
5. **प्रशिक्षुओं का अनुबंध प्रस्तुत करने हेतु प्रशिक्षुओं की पात्रता-** अधिनियम के अनुसार, प्रशिक्षुता अनुबंध (सीओए) को प्रशिक्षण शुरू होने के 7 दिनों के भीतर बीओपीटी को प्रस्तुत किया जाना है। एक वर्ष की छूट के लिए, बीओपीटी प्रशिक्षुता अनुबंध स्वीकार करेगा ऐसे सभी प्रशिक्षुओं के लिए जिनकी ज्वाइनिंग की तारीख अनुबंध जमा करने की तारीख से 11 महीने से अधिक नहीं है। जमा करने में देरी के कारण एक बार की छूट दी जा रही है गैर-इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए एनएटीएस के रूप में अनुबंध में एक नया विषय शामिल किया गया है। मामले-दर-मामले के आधार पर अनुबंध को देरी से प्रस्तुत करने के मामले पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया जा सकता है।
6. एनएटीएस टीपीए अपने संचालन के सभी मामलों के लिए पूर्वी क्षेत्र के विभिन्न राज्यों की देखभाल करने वाले संबंधित सहायक निदेशकों (एडी) के साथ घनिष्ठ संपर्क बनाए रखेगा। किसी गतिविधि के मामले में एक से अधिक राज्यों में शामिल होने की आवश्यकता होती है, गतिविधि की आवश्यकता के अनुसार संबंधित राज्यों के सभी संबंधित सहायक निदेशकों को आमंत्रित किया जा सकता है।
7. पूर्वी क्षेत्र के विभिन्न राज्यों की देखभाल करने वाले सहायक निदेशकों का विवरण बीओपीटी की आधिकारिक वेबसाइट पर "हमसे संपर्क करें" लिंक के तहत उपलब्ध है।
8. पूरे भारत के आधार पर एनएटीएस पोर्टल में स्थापनाओं के पंजीकरण के लिए एनएटीएस टीपीए को यह सुनिश्चित करना होगा कि "कॉर्पोरेट पता" और "फ़ैक्टरी पता" दोनों की आवश्यकता वाले फ़्रील्ड में केवल पूर्वी क्षेत्र में स्थित कंपनी का पता भरा जाना चाहिए। इसके अलावा, अपने लेटर हेड पर स्थापना की इच्छा इस तथ्य को बताते हुए कि वे बीओपीटी के साथ पंजीकरण करना चाहते हैं, निदेशक, बीओपीटी (ईआर) को संबोधित करना आवश्यक है।
9. एनएटीएस टीपीए की एक साप्ताहिक रिपोर्ट नीचे दिए गए प्रारूप में प्रत्येक सप्ताह के मंगलवार तक ईमेल आईडी: **osd1.admin@bopter.in** पर प्रस्तुत करना आवश्यक है।